न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड् अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No. 2022/34
दायरा तिथि : 04.02.2022
निर्णय दिनांकः 14.05.2022

वादी :–

श्रीमति ममता परिहार धर्मपत्नि महेन्द्र परिहार जाति माली
निवासी बाली तहसील बाली जरिये आम मुख्त्यार
सर्व श्री हितेश पुत्र सम्पतराज राणावत जाति जैन निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. दीपक पुत्र मांगीलाल जाति लौहार निवासी बाली बहैसियत मुख्त्यार सर्वश्री
   - A छविराम पुत्र रामचन्द्र छारी पंजाबी निवासी वार्ड संख्या 3 सडकापुरा मोरेना मध्यप्रदेश
   - B नितिन पुत्र भारत राव हिरवे रेवारी निवासी गुनजोली, उमरगा उस्मानाबाद महाराष्ट्र
   - C प्रणव पुत्र बिनोज त्रेहन जाति ब्राहमण निवासी बी 1 स्वप्नलोक, आगा अब्बास अली रोड, युसर लेक, बैंगलोर
   - D प्रदीप पुत्र नेनूमल लाला हिन्दू वैष्णव ओकेन व्हिला, एजी खान रोड, वर्ली मुम्बई
   - E भरत पुत्र दिनेशचन्द्र जन्नरकर मराठा निवासी आनंद रेसीडेंसी साकौरे नगर, विमान नगर, पूना सिटी महाराष्ट्र
   - F ममता पत्नि सुदेश गुप्ता ब्राहमण 1 सी, 1 मंजिल श्री विजय भवन 2,बी अल्टामार्ट रोड, बैंक ऑफ इंडिया शैजारी मुंवई महाराष्ट्र
   - G यश पुत्र मनोहर समतानी हिन्दू मराठा निवासी 11 प्रेस मेंशन, हीला रोड, बान्द्रा वेस्ट मुंबई।
   - H शेलेश पुत्र सूर्यकान्त उतेकर जाति मराठा निवासी ए 901, पिका डेली शिव साई परडाइस फातिमा चर्च जवल, माजीवाडा, ठाणे, महाराष्ट्र
   - I शेषमल पुत्र कुंदनमल जैन जाति जैन निवासी 9/2/2 सिडको कोलोनी, सूर्या होटल के सामने, सेक्टर 18, न्यू पनवेल ईस्ट, रायगढ, महाराष्ट्र
   - J सिद्धार्थ पुत्र प्रेम शिवदासनी ब्राहम्ण निवासी करीम भोर मेयर मूलभाई देसाई रोड, स्काई पार्क के सामने, कवीला हिल, महाराष्ट्र
   - K हरी पुत्र मोतीलाल सिन्हा वैष्णव निवासी 201 टिवन टावर, 2 रा क्रांस लेन लोखंडवाला मार्केट अंधेरी वेस्ट, आजाद नगर, मुंवई
2. हिमांशु पुत्र प्रेम जोशी जाति ब्राहम्ण निवासी बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र
3. तहसीलदार, बाली (भूमिधारी) राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र परिहार............. अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री गणपतगर्ग .... अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 की ओर से
3. श्री प्रवीण भंडारी............. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से
4. श्री ललितकुमार नायव तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 14.05.2022

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम खिमेल तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1462 रकबा 1.4100 हैक्टर में वादी को 355/486 वां हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या –01 में वर्णित प्रतिवादी A से K प्रत्येक को क्रमशः 7/486, 7/486 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादी द्वारा इसका आधार यह वताया गया कि वर्णित भूमि खसरा नंबर 1462 रकबा 1.4100 हैक्टर में वादी हितेश का 8/9 हिस्सा रहा हैं एवं प्रतिवादी संख्या–02 का 1/9 हिस्सा रहा है। वादी ने अपने निहित 8/9 हिस्से मेंसे 7/9 हिस्सा की कृषि भूमि का वेचान करने के लिये श्रीमति ममता परिहार पत्नि महेन्द्र परिहार को आम मुख्त्यार दिनांक 07.01.2021 को नियुक्त किया है। अधिकृत पॉवर एटोरनी होल्डर ममता परिहार ने उक्त भूमि खसरा नंबर 1462 रकबा 1.4100 हैक्टर के 8/9 हिस्सा मेंसे 7/9 हिस्सा का बेचान रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 11.01.2021 से प्रतिवादी संख्या –01 में वर्णित प्रतिवादी A से K प्रत्येक को क्रमशः 7/486, 7/486 हिस्सा बेचान कर दिया। वादी के वादग्रस्त भूमि में निहित 8/9 हिस्सा में से प्रतिवादी A से K प्रत्येक को क्रमशः 7/486, 7/486 हिस्सा कुल 7/486 X11= 77/486 हिस्सा का बेचान करने के पश्चात् वादी का (8/9–77/486)=355/486 वां हिस्सा शेष रहा। परन्तु बेचान रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2303 दिनांक 22.04.2021 से वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या–01 में उल्लेखित प्रतिवादी A से K प्रत्येक को क्रमशः 8/9, 8/9 हिस्सा का खातेदार दर्ज कर दिया एवं वादी का नाम अधिकार अभिलेखों से विलोपित कर दिया। अतः माफिक वेचाननामा ग्राम खिमेल तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1462 रकबा 1.4100 हैक्टर में वादी को 355/486 वां हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या –01 में वर्णित प्रतिवादी A से K प्रत्येक को क्रमशः 7/486, 7/486 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या–02 को 1/9 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

पेज लगातार..........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2022/34

अनवान ममता परिहार जरिये आम मुख्त्यार हितेश बनाम दीपक जरिये आम मुख्त्यार श्री छबिराम वगैरा

अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अपने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी खतौनी संवत् 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रतिलिपि, आम मुख्त्यारनामा दिनांक 07.01.2021 की फोटो प्रति, प्रतिवादी संख्या–01 में वर्णित प्रतिवादी A से K प्रत्येक को क्रमशः 7/486, 7/486 हिस्सा बेचान किये जाने की पुष्टि स्वरूप दिनांक 11.01.2021 को इन प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित पंजिबद्ध विक्रय विलेखों की फोटो प्रतियॉ पेश की गई।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से वकील श्री गणपतगर्ग व प्रतिवादी संख्या–02 की ओर से वकील श्री प्रवीण भंडारी ने वकालतनामा के साथ राजीनामा पेश कर प्रस्तुत वाद के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वयं व्यक्तिशः भी उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण सहमत होने से प्रस्तुत प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत होने पर उभय पक्ष वकुलाय ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वाद में वर्णित तथ्यो से सहमत होने तथा इस सबंध में न्यायालय द्वारा तलब रिपोर्ट में भूमिधारी तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का, द्वारा प्रतिवादी संख्या –01 में वर्णित प्रतिवादी A से K प्रत्येक को क्रमशः 7/486, 7/486 हिस्सा का ही बेचान करने के बावजुद बेचान के आधार पर दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2303 दिनांक 13.01.2021 से प्रतिवादी संख्या –01 में वर्णित 11 खरिददारो यथा प्रतिवादी A से K प्रत्येक को क्रमशः 8/99, 8/99 हिस्सा का खातेदार दर्ज करना स्वीकार करते हुये माफिक बेचान प्रतिवादी संख्या –01 में वर्णित प्रतिवादी A से K प्रत्येक को क्रमशः 7/486, 7/486 हिस्सा का खातेदार दर्ज करने तथा वादी को 355/486 का खातेदार दर्ज किये जाने बाबत् सहमति प्रकट की गई। चूँकि वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यो से वादी एवं प्रतिवादी सहमत है तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली भी अपनी रिपोर्ट में इस तथ्यो की पुष्टि करते है। जिससे वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम खिमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 1462 रकबा 1.4100 हैक्टर के सबंध में प्रस्तुत वाद स्वीकार करते हुये माफिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को टिनेन्सी एक्ट.1955 की धारा 88 के तहत निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता हैः–

1. वादी का .... 355/486 वां हिस्सा
2. प्रतिवादी संख्या–01 में वर्णित प्रतिवादी
   A से K प्रत्येक को क्रमशः ....7/486, 7/486 हिस्सा (संयुक्त तौर पर 77/486 हिस्सा)
3. प्रतिवादी संख्या–02 का .... 1/9 हिस्सा

इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खिमेल को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धारागढ़े सोहल राना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

वादी :–

श्रीमति ममता परिहार धर्मपत्नि महेन्द्र परिहार जाति माली
निवासी बाली तहसील बाली जरिये आम मुख्त्यार
सर्व श्री हितेश पुत्र सम्पतराज राणावत जाति जैन निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. दीपक पुत्र मांगीलाल जाति लौहार निवासी बाली बहैसियत मुख्त्यार सर्वश्री
   - A छबिराम पुत्र रामचन्द्र छारी पंजाबी निवासी वार्ड संख्या 3 सडकापुरा मोरेना मध्यप्रदेश
   - B नितिन पुत्र भारत राव हिरवे रेबारी निवासी गुनजोली, उमरगा उस्मानाबाद महाराष्ट्र
   - C प्रणव पुत्र बिनोज त्रेहन जाति ब्राहमण निवासी बी 1 स्वप्नलोक, आगा अब्बास अली रोड, युसर लेक, बैंगलोर
   - D प्रदीप पुत्र नेनूमल लाला हिन्दू वैष्णव ओकेन व्हिला, एजी खान रोड, वर्ली मुम्बई
   - E भरत पुत्र दिनेशचन्द्र जन्नरकर मराठा निवासी आनंद रेसीडेंसी साकौरे नगर, विमान नगर, पूना सिटी महाराष्ट्र
   - F ममता पत्नि सुदेश गुप्ता ब्राहमण 1 सी, 1 मंजिल श्री विजय भवन 2,बी अल्टामार्ट रोड, बैंक ऑफ इंडिया शैजारी मुंबई महाराष्ट्र
   - G यश पुत्र मनोहर समतानी हिन्दू मराठा निवासी 11 प्रेस मेंशन, हीला रोड, बान्द्रा वेस्ट मुंबई।
   - H शेलेश पुत्र सूर्यकान्त उतेकर जाति मराठा निवासी ए 901, पिका डेली शिव साई परडाइस फातिमा चर्च जवल, माजीवाडा, ठाणे, महाराष्ट्र
   - I शेषमल पुत्र कुंदनमल जैन जाति जैन निवासी 9/2/2 सिडको कोलोनी, सूर्या होटल के सामने, सेक्टर 18, न्यू पनवेल ईस्ट, रायगढ, महाराष्ट्र
   - J सिद्धार्थ पुत्र प्रेम शिवदासनी ब्राह्मण निवासी करीम भोर मेयर मूलभाई देसाई रोड, स्काई पार्क के सामने, कबीला हिल, महाराष्ट्र
   - K हरी पुत्र मोतीलाल सिन्हा वैष्णव निवासी 201 टिवन टावर, 2 रा क्रांस लेन लोखंडवाला मार्केट अंधेरी वेस्ट, आजाद नगर, मुंबई
2. हिमांशु पुत्र प्रेम जोशी जाति ब्राह्मण निवासी बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र
3. तहसीलदार, बाली (भूमिधारी) राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2022/34
वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम खिमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 1462 रकबा 1.4100 हैक्टर के सबंध में प्रस्तुत वाद स्वीकार करते हुये माफिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को टिनेन्सी एक्ट.1955 की धारा 88 के तहत निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है:–

1. वादी का .... 355/486 वां हिस्सा
2. प्रतिवादी संख्या–01 में वर्णित प्रतिवादी
   A से K प्रत्येक को क्रमशः ....7/486, 7/486 हिस्सा (संयुक्त तौर पर कुल 77/486 हिस्सा)
3. प्रतिवादी संख्या–02 का .... 1/9 हिस्सा

निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खिमेल को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2022 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner